# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )
वाद सं0 : 78 सन 2022
अनवान :—

1. प्रेमसुख पुत्र हिराराम जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. हिम्मताराम पुत्र हिराराम जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
2. रामेश्वरलाल पुत्र हिराराम जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर
3. मनीदेवी पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर
4. महेन्द्रसिंह पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर
5. हवासिंह पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर
6. हरिराम पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर
7. रोशनी पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर
8. अनकोरी पत्नी मलुराम जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर
9. मोहनलाल पुत्र मलुराम जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर
10. मनीराम पुत्र मलुराम जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर
11. कलावती पुत्री मलुराम जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर
12. भगवन्ती उर्फ रोशनी पुत्री मलुराम जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. सावित्री पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर
14. साहबराम पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर
15. रतनाम पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**

उपस्थित : श्री अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

**निर्णय दिनांक :— 21|02|2022**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ललानबास श्योपुरा के खाता संख्या 79/79 की कुल 3.5660हैक एवं रोही मौजा ललानबास श्योपुरा के खाता संख्या 80/80 की कुल 3.5660हैक एव खाता संख्या 110/110 की कुल 3.5660हैक एवं खाता संख्या 176/176 की कुल 2.6810हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम से दर्ज है ।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज नन्दराम वल्द हिरा उर्फ हिराराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनके वारिसान पुत्रों के नाम से दर्ज हुई जिसमें नन्दराम के दो पुत्र सोहनलाल एव मलुराम के देहान्त होने पर उनके वारिसान के नाम से दर्ज हुई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के नाम से दर्ज है।

वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने पारिवारिक शान्ति एवं भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है जो वाद की मद संख्या 5 व अनुतोष में दर्ज है के अनुसार भूमि प्राप्त हुई थी उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 को कई मर्तबा कहा की बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पूर्वज नन्दराम एवं नन्दराम के पुत्र सोहनलाल एव मलुराम के देहान्त होने पर वादी एव प्रतिवीद संख्या 15 के नाम से दर्ज हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 ने निवेदन किया की वाद भूमि का काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का वादी एव प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया था जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वादी एव प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिसे वादी एव प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 16 पेरोकार राज ने जबाव पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानबास श्योपुरा के खाता संख्या 79/79 की कुल 3. 5660हैक एवं रोही मौजा ललानबास श्योपुरा के खाता संख्या 80/80 की कुल 3.5660हैक एव खाता संख्या 110/110 की कुल 3.5660हैक एवं खाता संख्या 176/176 की कुल 2. 6810हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम से दर्ज है ।

उक्त भूमि पूर्व मे वादी के पूर्वज नन्दराम वल्द हिरा उर्फ हिराराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनके वारिसान पुत्रों के नाम से दर्ज हुई जिसमें नन्दराम के दो पुत्र सोहनलाल एव मलुराम के देहान्त होने पर उनके वारिसान के नाम से दर्ज हुई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के नाम से दर्ज है।

वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होंने परिवारिक शान्ति एवं भूमि काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया हुआ है जो वाद की मद संख्या 5 व अनुतोष में दर्ज है के अनुसार भूमि प्राप्त हुई थी उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायागिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
टोडर

Scanned with CamScanner

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानबास श्योपुरा के खाता संख्या 79/79 की कुल 3.5660हैक्ट एवं रोही मौजा ललानबास श्योपुरा के खाता संख्या 80/80 की कुल 3.5660हैक्ट एव खाता संख्या 110/110 की कुल 3.5660हैक्ट एवं खाता संख्या 176/176 की कुल 2.6810हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम से दर्ज है ।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 ने आपसी सहमति से काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है एवं अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वादी एव प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही हे व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है वादी एव प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि का पूर्व में मूल खसरा 93 , 94 था जिसका समय समय पर तरमीम किया जाकर 93/1 से 93/3 एव 93/4 बनाये गये है जो प्रस्तुत नक्शा से साबित है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि ललानाबास श्योपुरा के खसरा न0 93/1 ,93/2 ,93/3 ,93/4 जो मुल खसरा 93 से बने है को नजरिय नक्शा के अनसुार खसरा न0 93 मिन की 3.452हैक्ट जो नजरिय नक्शा मे हरे रंग से दर्शित वादी के नाम दर्ज की जाती है तथा खसरा न0 93 मिन की 1.669हैक्ट भूमि जो कि नजरिय नक्शा में लाल रंग से दर्शित है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जाती है तथा खसरा न0. 93 मिन की 3.427हैक्ट भूमि जो नजरिय नक्शा में पीला रंग से दर्शित है जिसमें से 287/1783 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम तथा 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम तथा 7133/35660 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 के नाम तथा 7133/35660 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 के नाम तथा 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 के नाम दर्ज की जाती है तथा खसरा न0 93 मिन की 3.427हैक्ट भूमि जो नजरिय नक्शा में निला रंग से दर्शित है जिसमें से 5713/249620हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 8 के नाम तथा 1666/8915 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 9 के नाम तथा 1666/8915 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 10 के नाम तथा 6663/35660 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 के नाम तथा 6663/35660 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 12 के नाम एवं 1666/8915 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 के नाम सयुक्त तौर से दर्ज की जाती है नजरिय नक्शा निर्णय का भाग रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/02/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
( उपखण्ड अधिकारी )

Scanned with CamScanner

# पर्चा डिक्री

( आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अगवान :–

1. प्रेमसुख पुत्र हिराराम जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. हिम्मताराम पुत्र हिराराम जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
2. रामेश्वरलाल पुत्र हिराराम जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर
3. मनीदेवी पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर
4. महेन्द्रसिह पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर
5. हवासिह पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर
6. हरिराम पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर
7. रोशनी पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर
8. अनकोरी पत्नी मलुराम जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर
9. मोहनलाल पुत्र मलुराम जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर
10. मनीराम पुत्र मलुराम जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर
11. कलावती पुत्री मलुराम जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर
12. भगवन्ती उर्फ रोशनी पुत्री मलुराम जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर
13. सावित्री पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर
14. साहबराम पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर
15. सतनाम पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 78 सन 2022 निर्णय दिनांक–** 21/02/2022

आज यह बाद गुड्डा श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि ललानाबास श्योपुरा के खसरा न0 93/1 ,93/2 ,93/3 ,93/4 जो मुल खसरा 93 से बने है को नजरिय नक्शा के अनसुार खसरा न0 93 मिन की 3.452हैक जो नजरिय नक्शा में हरे रंग से दर्शित वादी के नाम दर्ज की जाती है तथा खसरा न0 93 मिन की 1.669हैक भूमि जो कि नजरिय नक्शा में लाल रंग से दर्शित है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जाती है तथा खसरा न0. 93 मिन की 3.427हैक भूमि जो नजरिय नक्शा में पीला रंग से दर्शित है जिसमें से 287/1783 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम तथा 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम तथा 7133/35660 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 के नाम तथा 7133/35660 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 के नाम तथा 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 के नाम दर्ज की जाती है तथा खसरा न0 93 मिन की 3.427हैक भूमि जो नजरिय नक्शा में निला रंग से दर्शित है जिसमें से 5713/249620हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 8 के नाम तथा 1666/8915 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 9 के नाम तथा 1666/8915 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 10 के नाम तथा 6663/35660 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 के नाम तथा 6663/35660 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 12 के नाम एवं 1666/8915 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 के नाम सयुक्त तौर से दर्ज की जाती है नजरिय नक्शा निर्णय का भाग रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

Scanned with CamScanner